अंतरराष्ट्रीय कानून और सीमा पार विवादों में एडीआर की भूमिका

26 सितंबर 2024 को विधि कार्य विभाग में सम्मेलन हॉल, द्वितीय तल में ***अंतरराष्ट्रीय कानून और सीमा पार विवादों में एडीआर की भूमिका*** शीर्षक से कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस सत्र में डॉ अंजू राठी राणा, अपर सचिव, सुश्री वर्षा चंद्रा, संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी, निदेशक, एएलए, डीएलए और विधि कार्य विभाग के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया और अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवादों को सुलझाने में माध्यस्थम, मध्यकता और सुलह जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्रों के बढ़ते महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। अंतरराष्ट्रीय कानून और एडीआर की विशेषज्ञ **सुश्री राधिका बिश्वजीत दुबे** ने विस्तार से बताया कि कैसे इन तंत्रों को पारंपरिक मुकदमेबाजी के प्रभावी विकल्प के रूप में तेजी से अपनाया जा रहा है, खासकर सीमा पार विवादों में जिनमें अक्सर जटिल क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे और उच्च लागत शामिल होती है।

सुश्री दुबे ने कार्यशाला के दौरान, वाणिज्यिक, निवेश और राष्ट्र से राष्ट्र के विवादों में एडीआर के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला, इसकी दक्षता, लचीलेपन और लागत-प्रभावशीलता पर जोर दिया। उन्होंने वास्तविक संसार के केस स्टडीज भी साझा किए, जिन्होंने एडीआर के सफल कार्यान्वयन को प्रदर्शित किया, जिससे उपस्थित लोगों को इसके व्यावहारिक लाभों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। इसके अतिरिक्त, सत्र में न्यूयॉर्क कन्वेंशन और आईसीएसआईडी दिशा-निर्देशों जैसी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों को शामिल किया गया, जो अंतरराष्ट्रीय विवादों में एडीआर प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।

डॉ. अंजू राठी राणा और सुश्री वर्षा चंद्रा ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने चर्चा की कि एडीआर किस तरह भारत के कानूनी ढांचे के साथ तालमेल बिठाता है और अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग को बढ़ावा देने में इसकी बढ़ती भूमिका है। कार्यशाला विधि कार्य विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुई, जिससे तेजी से आपस में जुड़ती दुनिया में अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवादों को संभालने में एडीआर की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में उनकी समझ बढ़ी।